संख्या 2418-1 /62-2-2010-2/2(47)/2008टी.सी.

प्रेषक ,

सुशील कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- मण्डलायुक्त,
झाँसी/ चित्रकूट धाम मण्डल,
2- जिलाधिकारी,
झाँसी,ललितपुर,जालौन,हमीरपुर,बाँदा,महोबा एवं चित्रकूट
उत्तर प्रदेश।
3- अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई वृत्त,
झाँसी।
4- अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई खण्ड,
झाँसी,ललितपुर,जालौन,हमीरपुर एवं बाँदा।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग-2लखनऊ दिनाँक 21 अक्टूबर 2010

विषयः-बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग द्वारा कियान्वित की जा रही योजनाओं के कियान्वयन हेतु शासनादेश सं0-1985/62-2-2010 -2/2(47)/08 टी.सी. दिनाँक 13 मई 2010 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों में संशोधन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि :-

(।) उक्त शासनादेश के प्रस्तर-ब के उपप्रस्तर-i(।) जो एच.डी.पी.ई. पाइप सिस्टम के वितरण हेतु लाभार्थी चयन के सम्बन्ध में है को निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः-

"ऐसे कृषकों जिनके पास बोरिंग उपलब्ध है तथा जिन्हे अन्य शासकीय योजनाओं में एच.डी.पी.ई. पाइप सिस्टम का लाभ प्राप्त न हुआ हो , को ही एच.डी.पी.ई. पाइप सिस्टम का वितरण किया जायेगा, किन्तु लघु सिंचाई विभाग की निःशुल्क बोरिंग योजना,इनवेल बोरिंग योजना तथा गहरी बोरिंग योजना के अन्तर्गत निर्मित निजी नलकूपों के लाभार्थियों को वरीयता दी जायेगी और जब इन योजनाओं के लाभार्थी उपलब्ध नहीं होगें तभी अन्य कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा। विभाग द्वारा संचालित मध्यम गहरे नलकूपों की योजना में नाली निर्माण/पाइप हेतु पूर्व से ही व्यवस्था है इसलिए मध्यम गहरे नलकूपों के लाभार्थियों को इस हेतु चयनित नहीं किया जायेगा।"

AK-1-664

2–उक्त शासनादेश के प्रस्तर–ब में एच.डी.पी.ई. पाइप सिस्टम हेतु जल वितरण पाइप एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई प्राविधान नहीं था। अतः उक्त शासनादेश के प्रस्तर–ब में नया उप प्रस्तर– i(8) निम्नानुसार जोड़ा जाता है–

"इस योजना के अन्तर्गत जल वितरण प्रणाली में सहज संयोजी पालीएथिलीन पाइप (आई.एस.कोड–14151(पार्ट–2/1999) 110 एम.एम. नामिनल डायमीटर,क्लास–1 मय एच.डी.पी.ई. कपुलर के प्रयोग किया जायेगा। उपरोक्त पाइप के क्रय की व्यवस्था समय–समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में मुख्य अभियन्ता,लघु सिंचाई (मुख्यालय) द्वारा स्टोर परचेज नियमों के अन्तर्गत की जायेगी। पाइप के अतिरिक्त अन्य मटेरियल (बेन्ड,टी,पम्प कनेक्टिंग निपिल तथा इण्ड प्लग) की व्यवस्था कृषक की आवश्यकता के अनुरूप सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के स्तर से अधीक्षण अभियन्ता से दरों का निर्धारण कराकर की जायेगी।"

उपरोक्त शासनादेश दिनाँक 13 मई 2010 उक्तानुसार संशोधित समझा जाए और पढ़ा जाए तथा तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस शासनादेश के शेष प्रस्तर यथावत रहेगें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या /62–2–2010 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–प्रमुख सचिव,नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन ।
2–प्रमुख सचिव,ग्राम्य विकास विभाग,उत्तर प्रदेश शासन ।
3–मुख्य अभियन्ता,लघु सिंचाई विभाग,उत्तर प्रदेश ।
4–स्टाफ आफीसर,कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5–स्टाफ आफीसर,मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से

(सुशील कुमार)
प्रमुख सचिव

AK-1-665